

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई 2020—आषाढ़ 12, शक 1942

## सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2020

क्रमांक: एफ 3-4-2020-छब्बीस-1-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ( 2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन (दिव्यांगजन) के लिए पदों के चिन्हांकन हेतु पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्वारा, अनुसूची-एक के उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना में अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद चिन्हांकित करती है:-

### अनुसूची "एक"

- (1) उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग

## अनुसूची "दो"

## निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

## विभाग : उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी मर्ती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमार्क
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुछ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
द्वितीय	सहायक संचालक उद्यान	16	16	1	1	0	0	0	1	
तृतीय	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	113	113	7	1 (कम दृष्टि)	2	2	2	7	
	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	990	990	59	15 (कम दृष्टि)	15	15	14	59	
	सहायक ग्रेड-3	117	117	7	2	2	1	2	7	
	स्टेनो टाईपिस्ट	10	10	1	0	0	1	0	1	
चतुर्थ	शून्य/चौकीदार	695	695	42	10	10	11	11	42	
	कुल योग:-	1941	1941	117	29	29	30	29	117	

Bhopal, the 3rd July 2020

No.F 3-4-2020-26-1 :- In exercise of the powers conferred by Section 101 of the Rights of Person with Disabilities Act, 2016 (No.49 of 2016), for the identification of the posts for the Disable Persons, under the provisions of Rule-17 of the Madhya Pradesh Rights of Persons with Disabilities, Rule, 2017, committee for identification of posts, hereby, identifies the posts reserved for the Disabled Persons as per the specifications prescribed in Schedule 2 in the establishment of Department of Horticulture and Food Processing of Schedule 1 :-

## Schedule - I

(1) Department of Horticulture and Food Processing

**Schedule - II**  
**Posts Identified for the Disabled Persons**  
**Department: - Department of Horticulture and Food Processing**

Category	Post / Cadre	Posts accepted for direct recruitment	Total	Posts Identified for the disabled (According to 6 %)	Identified Post / Cadre and no.				Total (6+7+8+9)	Remark
					Blind and low vision (1.5%)	Hearing Impaired Deaf and Hard of Hearing (1.5%)	Locomotors Disability including Cerebral Palsy. Leprosy cured person, Dwarfism, Acid Attack Victim, Muscular Dystrophy (1.5%)	Autism, Intellectual Disability, Specific learning Disability, Mental Illness, Multiple Disability (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Second	Assistant Director Horticulture	16	16	1	1	0	0	0	1	
Third	Senior Horticulture Development Officer	113	113	7	1 (Low Vision)	2	2	2	7	
	Rural Horticulture Extension Officer	990	990	59	15 (low vision)	15	15	14	59	
	Assistant Grade III	117	117	7	2	2	1	2	7	
	Steno Typist	10	10	1	0	0	1	0	1	
Fourth	Peon / Watchmen	695	695	42	10	10	11	11	42	
	<b>Total</b>	<b>1941</b>	<b>1941</b>	<b>117</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>117</b>	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बूटासिंह इवने, उपसचिव.**